(ङ) क्या पलामू बांध परियोजना को बचाने के लिए कोई उपाय किये गये हैं;

(च) क्या विस्थापित लोगों को मुआवजा देने के स्थान पर उन्हें जेल में डाला जा रहा है; और

(छ) यदि ऊपर उल्लिखित भागों का उत्तर "हां" में है तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) राज्य सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दी गयी स्वीकृति में निर्धारित किए गए सुरक्षा उपायों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय प्रबन्ध समिति गठित की है।

(ख) यह अनुमान है कि पूर्ण जलाशय स्तर पर लगभग 19,000 एकड़ वन भूमि जल मग्नता के अन्तर्गत आती है। स्वीकृत निबंधनों के अनुसार समतुल्य गैर वन भूमि पर वन रोपण करने के लिए इस परियोजना के प्राक्कलन में 17.46 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(ग) अनुप्रयोज्य भंडारण, जिसकी जलाशय में व्यवस्था है, जलाशय में गाद के आने को रोकता है। इसके अतिरिक्त, स्पिलवे भाग में निम्न स्तर पर दो पानी साफ करने के स्लूस लगाए गए हैं। बांध के प्रतिप्रवाह जलग्रहण क्षेत्र से बाद के कटाव को रोकने के लिए 31.21 करोड़ रुपए (1985 गतर) की अनुमानित लागत पर 81,000 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने हेतु जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजनाएं भी तैयार की गयी हैं।

(घ), (च) और (छ) 27 प्रभावित गांवों में से 20 जलमग्न क्षेत्र में आते हैं। 15 गांवों में भूमिअधिग्रहण और पुनर्वास प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है। एक गांव जलमग्न नहीं होता है जबकि दूसर गांव में कोई आबादी नहीं है। शेष 3 गांवों में स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास संबंधी प्रक्रिया को रोक दिया गया है।

(ङ) जी हां, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दी गयी स्वीकृति में पलामू टाइगर परियोजना की सुरक्षा के उपायों का उल्लेख है।

1207. [21 दिसम्बर 1993 के लिए स्थानान्तरित।]

Water level in Uttar Pradesh and Haryana

1208. DR. SANJAYA SINH: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleahed to slate:

(a) whether Government ale aware that the water level in the States of Uttar Pradesh and Haryana has consi derably gone down and if so, what arc the reasons thereof; and

(b) whether it is also a fact that Tube-wells. which were sunk about five years back, have become inoperative and if so; whether Government propose to provide subsidy to the farmers on that behalf and if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir. Decline of more than 2 metres in the ground water level has been observed in certain localised pockets of Haryana and Uttar Pradesh. Fall in ground water level is attributed to variation in amount and distribution of rainfall and intensive development of ground water.

(b) The information available with the Agriculture Department of Government of Haryana and Minor Irrigation Department of Govt. of Uttar Pradesh does not show that the tubewells sunk about five years back have become inoperative due to decline in water table. There is no proposal to provide subsidy to the farmers on this account.